न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र.क. 587–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 03.1.2013 पारित – व्दारा– कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ – प्रकरण 51/पुर्नविलोकन/2012–13

1. श्रीमती रामकुंवर पत्नि काशीराम यादव
2. श्रीमती मानकुवर पत्नि रामस्वरूप यादव
3. श्रीमती शीलकुंवर पत्नि वृजलाल यादव
   ग्राम पचैर पोस्ट पकदारी थाना कुडीला
   खरगापुर जिला टीकमगढ़ ———आवेदकगण

विरूध्द

1. गनपत तनय रमुआ सौर
   निवासीगण ग्राम देरी तहसील बल्देवगढ़
   जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
2. श्रीमती बैनीवाई पुत्री रमुआ सोंर
   ग्राम बन्ने, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ ——अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव
अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 28. 6. 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र.क. 51/2012–13 पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ ने पत्र कमांक पुअ/टीक/शिका/कलेक्टर/321/11 दिनांक 21–7–11 लिखकर कलेक्टर टीकमगढ़ को अवगत कराया कि श्रीमती परमिया पत्नि डरू आदिवासी, केशव तनय डरू आदिवासी, रामेश्वर तनय डरू आदिवासी निवासी पूनोलखास थाना दिगोड़ा जिला टीकमगढ़ का आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुआ,

जिसमें लिखा है कि उ0प्र0झांसी जिले के सचिन गुप्ता, अमित अग्रवाल ने मेरे पिता डरू तनय हरदास आदिवासी का अहरण कर पिता के नाम की भूमि की रजिस्ट्री कराने का संदेह होने एंव पिता की जमीन की रजिस्ट्री कराकर हत्या की आशंका है। आवेदकों के पिता के नाम प्रतापपुरा ओरछा में मौजा पटैती भूमि सवा तीन एकड़ है जिसके विकय करने के लिये कलेक्टर टीकमगढ़ से विकय की मंजूरी ली जाना और मंजूरी के समय बेंचने का अनुबंध कृपाराम यादव से किया जाने का लेख कराया है, जिससे समुचित कार्यवाही की जाकर अमल में लाई जावे। पुलिस अधीक्षक के इस पत्र को आधार मानकर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 51 पुर्नविलोकन/12-13 पंजीबद्व किया तथा तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 13/अ-21/ 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21.5.2010 को स्वमेव निगरानी में सक्षम अनुमति उपरांत लिया तथा अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस देकर आदेश दिनांक 3-1-13 पारित किया एंव तत्कालीन कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 21.5.2010 से भूमिस्वामी गनपत सौर की ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि ख.क. 4/1 एंव 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एंव महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. (आगे इन भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के विकय की दी गई अनुमति निरस्त करते हुये आवेदकगण के हित में हुये पंजीकृत विकय पत्र के अंतरण को संहिता की धारा 165 के अंतर्गत शून्य कर भूमि पूर्ववत अनावेदकगण के नाम करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थिति रहने के कारण एकपक्षीय है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि पुलिस

अधीक्षक, टीकमगढ़ ने पत्र कमांक पुअ/टीक/ शिका/कलेक्टर/321/11 दिनांक 21–7–11 में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि विकेता अनावेदकगण व्दारा आवेदकगण के हित में गलत ढंग से अथवा अनियमितताओं के आधारपर ग्राम ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि ख.क. 4/1 एंव 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एंव महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. का विकय किया है और जब पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन आवेदकगण एंव अनावेदक से सम्बन्धित नहीं है तथा प्रतापपुरा ओरछा के भूमिस्वामी के संबंध में है – कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा बिना आधार के ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि ख.क. 4/1 एंव 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एंव महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. के सक्षम अनुमति पर से हुये कय–विकय के विरूद्व प्रकरण दर्ज करना बेआधार कार्यवाही होना पाई गई है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया गया है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी सौर जाति के होकर अनुसूचित जनजाति संबर्ग से है किन्तु यह भी सही है कि उन्होंने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष वादग्रस्त भूमि के विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 26.12.2007 दिया है जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम पचेर उगड़ की भूमि उनके रिहायशी ग्राम से 15 किलो मीटर दूर है जिसके कारण खेती करने में व आने जाने में असुविधा है जिसके कारण इस भूमि से वह लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है, इसलिये उक्त भूमि को विकय करके अन्य ग्रामों में भूमि कय करना चाहते हैं। कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा विकय अनुमति आवेदन की जांच अधीनस्थ अधिकारियों से कराई है नायव तहसीलदार खरगापुर ने हितबद्व पक्षकारों को श्रवण किया है तथा मौके की जांच कराई है। जांच कर सन्तुष्टि उपरांत जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.9.2008 में बताया है कि –

आवेदकगण गनपत एंव बेनीवाई सोंर निवासी देरी को भूमि ख.क. 4/1 एंव 4/2 में हिस्सा 2/5 अनुसार रकबा 1.874 है. एंव महिला बेनीवाई को 1/5 हिस्सा अनुसार रकबा 0.937 है. स्थित ग्राम पचेर उत्राड़ की भूमि को विकय करने की स्वीकृती प्रदान करने हेतु अनुसॅशा की जाती है।

नायव तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 15.9.08 से सहमत होकर अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अग्रेषित किया है। नायव तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 17 अ 21/ 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 21.5.10 से वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की है। विचार योग्य बिन्दु है कि जब एक वार अनावेदकगण रिकार्डेड भूमिस्वामी को भूमि विकय की अनुमति प्रदान कर दी गई – आदेश के पालन में भूमि विकय हो गई, उसके वाद दिनांक 16–8–2011 को ऐसी कौनसी परिस्थितियां निर्मित हुई, जिनके कारण आदेश दिनांक 21.5.2010 का पुनरावलोकन किया जाना अनिवार्य हुआ ? कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 16–8–2011 में पुनरावलोकन का आधार यह लिया है –

> " प्रकरण के परीक्षण से पाया गया कि भूमि विकय की अनुमति देते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि उक्त भूमि किस व्यक्ति को व कितनी कीमत पर हस्तांतरित की जा रही है जिससे यह संभावना बन रही है कि गरीव व्यक्तियों को आवंटित की गई भूमि कम कीमत पर अन्य व्यक्तियों व्दारा अपने नाम हस्तांतरित कराई जा सकती हैं। "

वादग्रस्त भूमि पटटे की भूमि न होकर विकेतागण के भूमिस्वामी स्वत्व पर होना शासकीय अभिलेख में दर्ज है, जबकि कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा उपरोक्त आधारों पर प्रकरण पुर्नविलोकन में लिया गया है । स्पष्ट है कि कलेक्टर व्दारा जिन आधारों पर प्रकरण में पुनरावलोकन कार्यवाही पंजीबद्व की है एंव आदेश पारित किया है वह आधार मिथ्या एंव वास्तविकता के विपरीत हैं।

6/ कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा विकय अनुमति हेतु पारित आदेश दि.21.5.10 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के अंतिम पद में इस शर्त पर

कर केतागण का नामान्तरण किया है। विकय पत्र संपादित होने के उपरांत नामान्तरण किये जाने तक किसी भी पक्ष ने विकय मूल्य कम प्राप्त होने की शिकायत नहीं की है केता एंव विकेता के मन में बद्यान्ति न होने से कय - विकय सदभाविक पाकर नामान्तरण किया गया है। इन समस्त तथ्यों के होते हुये विकय अनुमति आदेश दिनांक 21.5.2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इसी आशय के न्यायिक दृष्टांत प्र.क. 557/।।/2013 में पारित आदेश दिनांक 21-5-12 में एंव अन्य प्रकरण कमांक 588/।।/2013 में पारित आदेश दिनांक 16-7-13 में दिये गये है, जिसके कारण कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 64/ पुर्नविलोकन/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 51/पुर्नविलोकन/12-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः वादग्रस्त भूमि पर विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण के नाम की शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि यथावत् रहती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर